

8-2-18

पत्रिका पेश हुई कमील कादी उपर पूर्व में प्रस्तुत हुआ इस प्रकण में पारि पायमिब डिग्री की पालना में एDR बनेडा से विभाजन स्कीम के बजाए प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्राप्त रिपोर्ट व सैजम वरमिस जमाबंदी के अध्ययन से यह पाया गया कि विवाह आराजियात में स्वयं कादी व परिवारी कु 2 डारा वाद विचारण दौरान ही किसी अन्य व्यक्ति श्री राजेन्द्र सिंह पिता मोरकिहं राजपूत को अपने एक हिस्से का बँचान कर दिया गया है। यानि स्वयं कादी ही अपने विभाजन आराजियात हेतु अपना वादपत्र चलाये जाने बावज़ गंभीर नही है कमील कादी द्वारा की उपरोक्त लिपि से न्यायालय को शक एक अवगत नही कराया गया है।

कलः कादी का वादपत्र विवाह आराजियात भेते अपना एक हिस्सा कादी द्वारा बँचान कर दिये जाने से, गैर अरुपालना में खारिज किये जाने के आदेश पारि किये जाते है पत्रिका नम्बर से इस की जाबत दारिख दफतर है।